

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए 3-7-2010-1-पांच (45).—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन, राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तत्काल किए जाने चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 8 में, उपनियम (3) में, खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

- “(दो) (क) निर्मित पके हुए भोजन की कुल राशि का तीन प्रतिशत;  
(ख) निर्मित, पके हुए भोजन को छोड़कर, माल की कुल राशि का चार प्रतिशत.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. एफ-ए 3-7-2010-1-पांच (45).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-7-2010-1-पांच (45), दिनांक 1 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2010

No. F-A-3-7-2010-1-V(45).—WHEREAS the State Government considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the official Gazette;

Now THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

#### AMENDMENT

In the said rules, in rule 8, in sub-rule (3), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

- “(ii) (a) three percent of the turnover of cooked food manufactured;
- (b) four percent of the turnover of goods, other than cooked food manufactured.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.